

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा**  
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005  
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10894 / 4959

दिनांक :- 15/01/2020

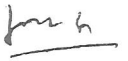
**कार्यालय आदेश**

श्री /श्रीमती / सुश्री प्रीती असीवाल [लिंक न. 10894] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अजमेर - [1091] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 13/09/2018 से 27/09/2018 तक 15 दिवस

**कुल 15 दिवस**

उक्त कुल 15 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री प्रीती असीवाल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

  
(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10894 / 4959

दिनांक :- 15/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अजमेर
2. कोषाधिकारी अजमेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री प्रीती असीवाल [10894] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अजमेर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

  
(शिल्पी बतेशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)